NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No : 87 /NCRES/20

Date : 11.5.2020

श्रीमान प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज

विषय :– रेलवे बोर्ड द्वारा जारी RBE No. 28/2020 दिनांक 3.3.2020 के अनुसार पुरानी पेंशन स्वीकार करने सम्बन्धी विकल्प फार्म को जमा करने की तिथि 31.5.2020 को बढ़ाकर 31.7.2020 किया जाना।

महोदय,

अवगत कराना है कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में ऐसे बहुत सारे कर्मचारी है जिनके नियुक्ति की प्रक्रिया 1.1.2004 के पहले पूरी कर लिया गया था लेकिन उन्होने नियुक्ति 1.1.2004 या उसके बाद प्राप्त किया था, इस कारण वो सभी NPS के अन्तर्गत है।

NFIR की मांग पर, ऐसे कर्मचारियों को जिन्हे 1.1.2004 के पूर्व चयन प्रक्रिया में सफल घोषित किया गया था लेकिन उनकी नियुक्ति 1.1.2004 के बाद हुई, उन्हें विकल्प के आधार पर पुरानी पेंशन में लिये जाने का निर्देश रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र सं0 D-43/12/2018-F (E) III दिनांक 3.3.2020 (RBE No. 28/2020) द्वारा जारी किया है।

रेलवे बोर्ड द्वारा कर्मचारियों को विकल्प फार्म जमा करने की तारीख 31.5.2020 तय की गई थी लेकिन Covid-19 के कारण लाक डाउन की स्थिति में आगरा मण्डल ने विकल्प फार्म जमा करने की तारीख 31.5.2020 को बढ़ाकर 15.6.2020 कर दिया है लेकिन प्रयागराज मण्डल और झांसी मण्डल ने विकल्प फार्म जमा करने की तिथि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में कोई दिशा–निर्देश जारी नही किया है।

NCRES का अनुरोध है कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के ऐसे कर्मचारी जो 1.1.2004 के पहले चयन प्रक्रिया में सफल घोषित किये गये थे लेकिन उनकी नियुक्ति 1.1.2004 के बाद हुई, ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्वीकार करने सम्बन्धी विकल्प फार्म जमा करने के 31.5.2020 तक की तिथि को कम से कम दो माह आगे यानि 31.7.2020 तक बढ़ाने के लिये उचित आदेश जारी करने की कृपा करे।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री